फ. सं. एच-11021/07/2021-एच-।

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(अस्पताल-। अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 15.11.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्ट-मार्टम किए जाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, विभिन्न स्रोतों से मंत्रालय में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

2. इस मामले की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में एक तकनीकी समिति द्वारा जांच की गई है। यह पता चला है कि कुछ संस्थान पहले से ही रात्रि-कालीन पोस्ट-मार्टम कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही उन्नति और सुधार को देखते हुए, विशेष रूप से पोस्टमार्टम के लिए अपेक्षित प्रकाश व्यवस्था और अवसंरचना की उपलब्धता के कारण अस्पतालों में रात्रि-कालीन पोस्ट-मार्टम किया जाना संभव होता है।

3. इसीलिए, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्ट-मार्टम किए जा सकते हैं जिनमें ऐसे पोस्ट मार्टम किए जाने के लिए बुनियादी सुविधाएं नियमित आधार पर मौजूद हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी साक्ष्य संबंधी गुणवत्ता में कोई कमी न आ जाए, अस्पताल प्रभारी द्वारा अवसंरचना आदि की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जाएगा।

4. तथापि, नर-हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शव, शव के साथ छेड़छाड़ का अंदेशा जैसी श्रेणियों के तहत आने वाले मामलों में रात्रिकालीन पोस्ट-मार्टम नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कानून और व्यवस्था की स्थिति न हो।

5. अंग दान के लिए पोस्टमार्टम प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए तथा यदि पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध है तो यह सूर्यास्त के उपरांत भी किया जा सकता है।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि, भविष्य में किसी प्रकार की आशंका को समाप्त करने तथा कानूनी प्रयोजनार्थ भावी संदर्भ के लिए *संरक्षित* किए जाने के लिए, सभी रात्रिकालीन पोस्ट-मार्टम की विडियो-रिकार्डिंग की जाए।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 23063481